प्रमाण–पत्र संख्या – 1(O.B.C.)

(कार्मिक अनु0–2 के शासनादेश संख्या–13/22/16/92/टी.सी.–III–का–2/2014,
दिनांक 17 दिसम्बर, 2014)

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. सुपुत्र/सुपुत्री ....निवासी .... ग्राम...........................तहसील..................................नगर......................................जिला.. उत्तर प्रदेश राज्य की...................................पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पूर्वोक्त अधिनियम–1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है) से आच्छादित नहीं है। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील................................ नगर............................ जिला... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :
मुहर :

हस्ताक्षर..
पूरा नाम..
पदनाम..
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

प्रमाण–पत्र संख्या – 2(S.C./S.T.)

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी... सुपुत्र/सुपुत्री श्री... निवासी ग्राम... तहसील............. ....नगर..........................जिला....................................उत्तर प्रदेश राज्य की.........................जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.................................तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम :............... तहसील.....................नगर............. जिला................................ में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :
मुहर :

हस्ताक्षर..................................
पूरा नाम.................................
पदनाम....................................
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट,यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

प्रमाण–पत्र सं0–3(F.F.)

(शासनादेश संख्या : 5/2015/18/1/2008–का–2/2015, दिनांक 21अप्रैल, 2015)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण–पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती...निवासी ग्राम.................................. तहसील...................................नगर.................................जिला................................ उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है औरश्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)................................ ....पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री का पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथा सं ोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)....................................के आश्रित हैं।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर
पूरा नाम
पदनाम
मुहर
जिलाधिकारी (सील)

प्रमाण–पत्र संख्या 4–(M.P.)

सैनिक आश्रित का प्रमाण–पत्र का प्रारूप

सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र–पुत्रियों तथा पैरा मिलिट्री फोर्स जिसमें रिजर्व बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स, सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आसाम राइफल्स, इंडो तिब्बती बार्डर पुलिस सम्मिलित है, के सैनिकों, जो युद्ध या संघर्ष में अक्षत हो गये हैं, अथवा मारे गये हैं, के पुत्र एवं पुत्रियों द्वारा देय प्रमाण–पत्र जो कि सेवारत/भूतपूर्व सैनिक के उस यूनिट के आफिसर कमांडिंग के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जिस यूनिट में वह कार्यरत हो अथवा सबसे अन्त में रहा हो अथवा पैरा मिलिट्री फोर्स का सैनिक युद्ध या संघर्ष में अक्षम हो गया हो या मारा गया हो। केवल सेवानिवृत्त सैनिक के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड के सचिव द्वारा भी प्रमाण–पत्र दिया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी..........................(अभ्यर्थी का पूरा नाम) सेवारत/भूतपूर्व सैनिक/पैरा मिलिट्री फोर्स का संघर्ष या युद्ध में अक्षम या मारे गये सैनिक श्री.................के पुत्र/पुत्री हैं। श्री.......................(सैनिक का नाम) यूनिट में.........................पद पर दिनाँक....................से..............तक कार्यरत थे/हैं। पैरा मिलिट्री................की यूनिट में संघर्ष या युद्ध में अक्षम रहे या मारे गये हैं।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर..
तिथि.......................

ओ.सी. के हस्ताक्षर...............................
पद............................
सील

प्रमाण–पत्र संख्या– 5

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी की सन्तान का प्रमाण–पत्र का प्रारूप

नोट :– 1. केवल उन अभ्यर्थियों द्वारा देय होगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाहर से हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा जिनके पिता उत्तर प्रदेश के किसी केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत हों।

2. यह प्रमाण–पत्र केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष (हेड आफ दि आफिस) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी...(अभ्यर्थी का पूरा नाम) के पिता श्री...........................केन्द्रीय सरकार के कार्यालय..........................में............................पद पर कार्यरत हैं। यह कार्यालय उत्तर प्रदेश के......................जनपद में स्थित है।

दिनांकः ....
स्थानः ....

हस्ताक्षर
नाम..
पदनाम....................................
कार्यालय का नाम तथा पूरा पता

प्रमाण–पत्र संख्या– 6

<u>उत्तर प्रदेश से बाहर के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के प्रवासी उम्मीदवार द्वारा पेश किये जाने वाले जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री.................... ....निवासी गांव/शहर..जिला/मण्डल................................राज्य/संघ शासित क्षेत्र..........................की......................जाति/ जनजाति का/की है, जो संविधान के आदेश के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित की गई है।

यह प्रमाण–पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी...................................को उसके पिता/माता श्री/श्रीमती.................. निवासी......................... गांव/शहर..................................जिला/मण्डल..............................राज्य/संघ शासित क्षेत्र...........................दिये गये अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र के आधार पर जारी किया है और........................जाति/जनजाति के हैं जिसे.............................राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है।

(निर्धारित पदाधिकारी का नाम)..द्वारा आपके पत्र या... दिनांक...............के अन्तर्गत जारी किया गया है।

स्थान : हस्ताक्षर :
राज्य/संघ शासित क्षेत्र : पद
दिनांक : मुहर
कृपया राष्ट्रपति के सम्बन्धित आदेश का उल्लेख करें।

प्रमाण–पत्र संख्या– 7

कार्यालय जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी .... जनपद ....

सामान्य निवास प्रमाण–पत्र

(केवल सेवायोजन/शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ)

कार्यालय उपजिलाधिकारी .... जनपद ....
.तहसीलदार श्री .... की आख्या दिनांक ....
.के एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि :–

श्री/श्रीमती/कुमारी ....
पुत्र/पुत्री/पति श्री ....
निवासी मकान नम्बर ....
ग्राम/मोहल्ला ....
थाना .... जनपद ....
उत्तर प्रदेश का/की निवासी है।
व उनका वर्तमान पता ....
.... है।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप–1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा कराई गई सूचना तथा इनसे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने विषयक प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा रहा है।

नोट :– उपर्युक्त प्रमाण–पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई सम्बन्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट–1955 में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है, यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह हो अथवा इन पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचरार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

दिनांक : हस्ताक्षर

उपजिलाधिकारी
....

कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2019/4/1/2002/का–2/19टी.सी.–**II**,
दिनांक 14 मार्च, 2019 के अनुसार

प्रमाण–पत्र संख्या –8A

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम ....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र संख्या .... दिनांक ....

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....

पुत्र/पति/पुत्री .... ग्राम/कस्बा ....

पोस्ट आफिस .... थाना .... तहसील ....

जिला .... राज्य .... पिन कोड ....

के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्शिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति नहीं है :–

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... जाति .... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर ....(कार्यालय की मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट /परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2019/4/1/2002/का–2/19टी.सी.–II, दिनांक 14 मार्च, 2019 के अनुसार

प्रमाण–पत्र संख्या –8B

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा–पत्र

स्वयं घोषणा–पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... ग्राम/कस्बा .... पोस्ट आफिस .... .थाना .... ब्लाक .... तहसील .... .जिला .... राज्य .... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :–

1. मैं .... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू0 .... (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) .... .आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोशणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है :–
   I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
   II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
   III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
   IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और वि वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट :–जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम

स्थान ....

दिनांक ....